हरिभूमि
epaper.haribhoomi.com
Bilaspur Raigarh - 27 Jun 2025 - Page 2

जिला न्यायाधीश ने ली जागृति एवं संवाद सदस्यों की बैठक

जशपुरनगर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तीन दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में नालसा द्वारा जागृति, डॉन, संवाद, साथी एवं आशा योजना को लागू किया गया है एवं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन से संबंधित हैंडबुक आवाज उठाओं एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित हैंडबुक का प्रकाशन किया गया है।

जागृति व संवाद सदस्यों की बैठक लेते जिला न्यायाधीश।

जिसके तारतम्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मार्गदर्शन एवं सत्येन्द्र कुमार साहू, प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सत्येन्द्र कुमार साहू के निर्देशानुसार जिला एवं तालुका स्तर पर जागृति, डॉन, संवाद, साथी एवं आशा इकाई का गठन किया गया है। प्रधान जिला न्यायाधीश की उपस्थिति एवं अध्यक्षता में जिले में नालसा योजना जागृति, डॉन, संवाद, साथी एवं आशा अंतर्गत गठित जागृति यूनिट, डॉन यूनिट, संवाद यूनिट, जिला साथी इकाई एवं आशा इकाई के सदस्यों का बैठक का आयोजन 26जून को जिला न्यायालय के सभाकक्ष में किया गया। अपने उद्‌बोधन में न्यायाधीश ने कहा गया कि आशा इकाई का मुख्य कार्य बाल विवाह की समस्या से निपटने के लिये एक संस्थागत ढांचा तैयार कर, बाल विवाह की प्रथा का उन्मूलन करना, पीडिताओं को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान कराते हुये समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। साथी इकाई का मुख्य कार्य बेसहारा बच्चों की पहचान करना, उनका आधार नामांकन कराना, विधिक सहायता प्रदान करना एवं शासन की अन्य लाभकारी योजनाओं से जोडना है। जागृति इकाई का मुख्य कार्य जमीनी स्तर पर निःशुल्क विधिक सहायता का प्रचार-प्रसार करना एवं शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। डॉन इकाई का मुख्य उद्देश्य नशीली दवाओं के दुरूपयोग एवं नशामुक्ति के संबंध में जागरूकता अभियान चलाना तथा नशे से पीडित व्यक्ति को नशे से मुक्ति हेतु नशा मुक्ति केन्द्र जाने हेतु प्रोत्साहित करना है। साथ ही नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाईन नंबर 1933 एवं 14446 एवं नालसा हेल्पलाईन नंबर 15100 का प्रचार प्रसार करना, स्कूल कॉलेज, सडकों पर रहने वाले बच्चे, सेक्स वर्कर, जेल, किशोर गृह, केमिस्ट, ड्रग पीड़ित व्यक्ति एवं उनके परिवारों, आम जनता के मध्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना है। ₹संवाद इकाई₹ का मुख्य कार्य जनजाति समुदाय क्षेत्रों की पहचान कर उनके मध्य विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना है। कार्यक्रम में शैलेष अच्युत पटवर्धन, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कु श्वेता बघेल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रदीप कुमार साहू अपर कलेक्टर, श्रीमती मंजूलता बाज, उप पुलिस अधीक्षक,ओंकार यादव अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्रीमती जयश्री राजपथने तहसीलदार , किशोर केरकेट्टा, सहायक संचालक, शिक्षा विभाग, चंद्रशेखर यादव, जिला बाल संरक्षण अधिकारी , श्रीमती सरोज खलखो, सहायक संचालक योजना , योगेश्वर उपाध्याय, मुख्य नगरपालिका अधिकारी व डॉ अबरार खान साईकोलॉलिस्ट सहित अन्य अधिकारी उपसस्थित थे।